भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2201

सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942(शक)

मध्य प्रदेश में श्रम योगी मानधन योजना

2201. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत कराया है;

(ग) पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य/जिला वार संख्या कितनी है;

(घ) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत लाभ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ङ) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, भोपाल सहित मध्य प्रदेश राज्य में किए गए पंजीकरणों की संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा इस योजना को और बढ़ावा दिए जाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): जी, हां। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जा रहा है। 28.02.2021 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत 44.90 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है। पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध 'क' में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 3000 से अधिक लोग योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि आंकड़ों का अनुरक्षण स्थानीय सरकारी निर्देशिका के अनुसार जिला स्तर पर अलग-अलग किया जाता है अत: निर्वाचन-क्षेत्र वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भोपाल जिले सहित मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) के अंतर्गत 1.23 लाख से अधिक नामांकन किए गए हैं।

(च): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पात्र असंगठित कामगारों को उनके निकटतम सीएससी केंद्रों से संबद्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिए, मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तर की निगरानी समितियां और डीसी/डीएम के अधीन जिला स्तर की कार्यान्वयन समिति का प्रत्येक जिले एवं राज्य में गठन किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अभिप्रेरित करने हेतु आईईसी सामग्रियां जैसे प्रचार पुस्तिका, बैकड्रॉप, क्रिएटिव्स फॉर स्टेंडी और वीडियो डॉक्यूमैंट्री (स्थानीय भाषा में) भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रदान की गई हैं।

* ****

अनुबंध

दिनांक 08.03.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2201 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं	राज्य	व्यक्तिगत नामांकन	सामूहिक नामांकन
1	हरियाणा	802517	92157
2	उत्तर प्रदेश	618125	224155
3	महाराष्ट्र	587940	10154
4	गुजरात	368539	
5	छत्तीसगढ़	208263	
6	बिहार	193132	
7	ओडिशा	163641	
8	आंध्र प्रदेश	150718	
9	झारखंड	129188	
10	मध्य प्रदेश	123999	
11	राजस्थान	102233	179305
12	कर्नाटक	98691	
13	पश्चिम बंगाल	74070	
14	जम्मू और कश्मीर	72198	
15	तमिलनाडु	56731	
16	हिमाचल प्रदेश	41646	
17	उत्तराखंड	34484	
18	पंजाब	33076	
19	तेलंगाना	31668	
20	त्रिपुरा	28717	
21	असम	21312	
22	केरल	10417	
23	दिल्ली	8002	
24	नागालैंड	4701	
25	चंडीगढ़	3926	832
26	मणिपुर	3866	
27	मेघालय	2872	
28	अरुणाचल प्रदेश	2474	
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2123	
30	पुदुचेरी	1249	
31	गोवा	971	
32	दमन और दीव	804	
33	दादरा और नागर हवेली	759	
34	मिजोरम	606	
35	सिक्किम	122	
36	लक्षद्वीप	21	
कुल		**3983801**	**506603**
		महायोग	**4490404**